सलमा बनाम घासीराम व अन्य

अपील/एलआर/2022/40

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 :– श्री ज्ञानसिंह रावत रेस्पो0 अधि0 : श्री लेखू मंघानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2023	पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 04.10.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांकित 05.04.2022 पर निर्णायार्थ पेश हुई। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता श्री लेखू मंघानी ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 04.10.2022 की बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 4180 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 5217/5184 का भूमि रूपांतरण औद्योगिक किये जाने के आदेश दिनांक 04.02.2022 को पारित किये जा चुके है, इसलिए प्रस्तुत अपील में जो भूमि विवादित है, वह "कृषि भूमि" नहीं रही। माननीय न्यायालय को "कृषि भूमि" से सम्बन्धित विवाद को निपटाने का अधिकार है, चूंकि भूमि औद्योगिक हो गई है। अपीलांट को भू–रूपांतरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 04.10.2022 स्वीकार किया जाकर अपील अपील श्रवण योग्य नही होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे (1) परिपत्र 95/PS/S/ UDH/90/31-1-990 (2) गोपाल बनाम दुर्गाप्रसाद WLN 1973 पृष्ठ 67 (3) RRT 2007 (1) पृष्ठ 3 (4) RRT 2010 (1) पृष्ठ 557 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडैन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत का समर्थन कर निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 4180 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 5217/5184 का भूमि रूपांतरण औद्योगिक भूमि मे होने से विादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 05(24) के तहत कृषि भूमि नही रही है। अपीलांट को भू–रूपांतरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस के जवाब मे अपीलान्ट अधिवक्ता श्री ज्ञानसिंह रावत ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता निर्णय दिनांक 17.11.2021 के तहत प्रस्तुत की गई जिसका क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत का खारिज किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने का निवेदन किया है। प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति रीडर	

COMPARED BY

Scanned with CamScanner

सलमा बनाम घासीराम व अन्य

अपील/एलआर/2022/40

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपी0 अधि0 :– श्री ज्ञानसिंह रावत रेस्पो0 अधि0 : श्री लेखू मंघानी	
COMPARED BY	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांकित 05.04.2022 पर निर्णय दिये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 04.10.2022 पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। उभयपक्ष अभिभाषक की प्रार्थना पत्र पर सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश के विवादित भूमि खसरा नम्बर 4180 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 5217/5184 का कृषि भूमि से भूमि रूपांतरण औद्योगिक किये जाने के आदेश दिनांक 04.02.2022 को पारित किये जा चुके है, ऐसे स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी मेडता के निर्णय दिनांक 17.11.2021 का कोई वजूद नही रहा है क्योंकि इसका रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी मेडता के आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि मे होने से विवादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 05 (24) के तहत कृषि भूमि की परिधी में नही है। कृषि भूमि से सम्बन्धित विवाद के प्रकरणो में ही न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती। इस बाबत रेस्पो अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रूलिंग्स पेश की गई जो इस प्रकरण मे चस्पा होती है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2021 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 20/02/23 संभागीय आयुक्त अजमेर प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति रीडर संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner